

पर्चा डिक्री

यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या - 384 / 2024

निवान : -

1. विजयपाल पुत्र रामसुख जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. सुभाष पुत्र रामसुख जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा हाल वार्ड नं० 26, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. महेन्द्र पि० रामसुख जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा
4. मुरलीधर हाल वार्ड नं० 07, ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा ।

वादीगण

बनाम्

1. रामसुख पुत्र हनुमान जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. कान्ता देवी पुत्री रामसुख पत्नी हंसराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 9 डी. डबल्यू एम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

काश्तकारी अधि० 1955



उपरिस्थिति :- श्री करनैलसिंह वादी
श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण

डिक्री


दिनांक 23/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व वकील प्रतिवादी श्री महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि कि चकनं० 3 एजी के खाता सं० 42/40 में कुल 2.707 है० मे से 2.024 है० आराजी के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर रिकार्ड में अंकन कर चक नं० 3 एजी के खाता सं० 42/40 में से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प

तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड (सहायक सचिव R.A.S)
पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी